न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –826/2022

अनवान : –

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।

–वादी

बनाम्

1. सीतो कौर पत्नी कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
2. अंग्रेजसिंह पुत्र कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
3. नैनसी कौर पुत्री कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
4. परमजीत कौर पुत्री कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
5. मनजोत कौर पुत्री कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
6. सुनीता रानी पुत्री कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री श्रवण कुमार अधिवक्ता **वादी**

2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 26/04/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 91/88 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि मृतका समी पुत्री बुधराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। समी पुत्री बुधराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादीया संख्या 1 है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 के वारिस वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 6 जो कि वादी की बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 6 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री भरतसिंह बैनीवाल ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी वारिस प्रमाण पत्र बहक समी उर्फ समोबाई प्रदर्श–1, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–2, जमाबंदी रोही मौजा 2 केएनएन खाता संख्या 91 सम्वत 2071–74 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक समोबाई प्रदर्श–4, वारिस प्रमाण पत्र सीतोकौर प्रदर्श–5, शपथ पत्र बाबत वारिसान बहक सीतो कौर प्रदर्श–6, वारिस प्रमाण पत्र बहक गुरप्रीत सिंह प्रदर्श–7 आदि प्रदर्शित करवायें। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो कि शामिल मिसल किया।

प्रकरण में पक्षकारान का राजीनामा होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की की उक्त वाद भूमि मृतक समी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है समी की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायज वारिसान वाद में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। समी के जायज वारिसान वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही हैं। वाद में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अनुसार समी उर्फ समोबाई के अन्य कोई वारिस नही है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, [illegible] किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के [illegible] 2074 के खाता संख्या 91/88 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 हे0 [illegible] समी पुत्री बुधराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श प्रदर्श – 4 से [illegible] है कि समोबाई का देहान्त हो चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 व 2 द्वारा वादी ने समोबाई के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक समो उर्फ समीबाई के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है उक्त कथन को प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है। वादी के वाद के संबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा दावा की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब इकबाल पेश किया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 91/88 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 में मृतका समी पुत्री बुधराम का नाम कलमजन किया जाकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:48:24 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –826 / 2022

अनवान : –

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।

–वादी

बनाम्

1. सीतो कौर पत्नी कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
2. अंग्रेजसिंह पुत्र कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
3. नैनसी कौर पुत्री कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
4. परमजीत कौर पुत्री कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
5. मनजोत कौर पुत्री कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
6. सुनीता रानी पुत्री कुका सिंह जाति बाजीगर निवासी नथाना तहसील व जिला भटिण्डा (पंजाब)।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 826 सन 2022 निर्णय दिनांक – 26/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 91/88 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 में मृतका समी पुत्री बुधराम का नाम कलमजन किया जाकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/4/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:48:24 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढवाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर